प्रेस नोट
दिनांक 06.06.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 227/24 धारा 2(ख)(17) व 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त 01. गया प्रसाद तिवारी उर्फ लल्ला पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 02.06.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत थानाध्यक्ष वजीरगंज द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/24 धारा 2(ख)(17) व 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, बनाम 01. गया प्रसाद आदि 5 नफर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त 01. गया प्रसाद तिवारी उर्फ लल्ला पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गौ तस्करी जैसा जघन्य अपराध करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. गया प्रसाद तिवारी उर्फ लल्ला पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 227/24 धारा 2(ख)(17) व 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरंगज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी
02. उ0नि0 पंकज यादव
03. उ0नि0 प्रवीण सिंह
04. हे0का0 विनोद सोनी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.06.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष कारावास व 15,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी चन्दापुर गुरेटी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 05 वर्ष कारावास व रु० 15,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्त – राजेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी चन्दापुर गुरेटी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोण्डा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष साधारण कारावास व रु० 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. राजेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी चन्दापुर गुरेटी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0 -193/14 धारा 498ए, 306 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।